

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर**  
**जिला भीलवाड़ा राज.**

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-2/2019 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

- 1-चान्दमल पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-महेशचन्द्र पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-अर्जुनलाल पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-नवरतन मल पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सुरेन्द्र कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-अशोक कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-विनोद कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-सुशीला पुत्री धर्मचन्द्र सुखलेचा पत्नि पुनम कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-2/2019 प्रार्थना पत्र

**बनाम**

1-ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-महेशचन्द्र पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4-अर्जुनलाल पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5-नवरतन मल पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6-सुरेन्द्र कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7-अशोक कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

8-विनोद कुमार पिता धर्मचन्द्र सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

9-सुशीला पुत्री धर्मचन्द्र सुखलेचा पत्नि पुनम कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1.चान्दमल/हरिश टेलर

अधिवक्ता प्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा:136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.**

**निर्णय**

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में पुराने खाता संख्या 611 की आराजी नम्बर 2109 रकबा 5 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी के पिता लक्ष्मीलाल पिता रिखबदास सुखलेचा के खातेदारी अधिकार संवत् 2037 से 2040 दर्ज रेकार्ड थी। नकल जमाबन्दी प्रस्तुत है। प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त वर्णित भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने हेतु आवेदन करने पर जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा के आदेश से रेवेन्यू रिकार्ड उक्त वर्णित जमाबन्दी में इन्तकाल नम्बर 1537 दिनांक 19.01.1983 से आबादी में परिवर्तन का अंकन किया गया है। प्रमाणित नामान्तरण की प्रति प्रस्तुत है। उक्त पुराने खाता नम्बर 611 संवत् 2037 सं 2040 की जमाबन्दी के बाद भू प्रबन्धन हुआ। भू प्रबन्धन अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम खातेदारी हक से दर्ज उक्त वर्णित आराजी नम्बर 2109 रकबा 5 बिस्वा के नये नम्बर 1838 कायम करते हुए अन्य आराजियात नम्बर 2098, 2109, 2099, 2102, 2103, 2104, 2105 कुल रकबा 0.35 है0 बनाते हुए नया खाता नम्बर 985 राजस्थान राज्य के नाम पुरे गांव की आबादी भूमि का कायम करते हुए सरकारी व व्यक्तिगत खातेदारी की आबादी में परिवर्तित सभी भूमियों को इस खाते में अंकित करते हुए पुरा खाता नम्बर 985 में वर्णित भूमियों को ग्राम पंचायत रायपुर की आबादी हेतु दर्ज कर दी गई जिसमें पिता के नाम की खातेदारी के उक्त वर्णित भूमिया आराजी नम्बर 2109 रकबा 0.05 है0 जिसका नया नम्बर 1838 किया जाकर अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 1838 कुल रकबा 0.35 है. बना दिया गया

इस 0.35 है० मे से 0.05 है० रकबा पिता के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य का था जिसको ग्राम पंचायत की रायपुर की आबादी भूमि बनाने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं था। पिताजी का सवर्गवास दिनांक 22.01.1991 मे ही हो गया उक्त खाता संख्या 611 वर्णित आराजी नम्बर 2109 से लगी हुई पुराने आराजी नम्बर 2103,2104,2105 जो कि प्रार्थी के बड़े धर्मचन्द पिता लक्ष्मीलाल सुखलेचा निवासी रायपुर के खातेदारी में खाता नम्बर 250 संवत 2037 से 2040 की जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड थी जिनके नये आराजी नम्बर 1838 कर दिये इस प्रकार कुल 1 बिघा भूमि मेरे पिता एवं मेरे बड़े भाई के खातेदारी होने से हमारा परिवार संयुक्त परिवार होने से सभी उक्त भूमियों का संयुक्त रूप से कदिमी मेरे पिता व भाईयो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा पुरी 1 बिघा भूमि के चारो तरफ कोट बना होकर फाटक लगी हुई है इसके हर समय हमारा ताला लगा रहता है। मेरे भाई सा. का देहान्त दिनांक 09.05.2018 को हो गया उसके बाद उनके सभी वारिसान व लक्ष्मीलाल जी के वारिसान संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे आज भी हम सभी का संयुक्त रूप से कब्जा है। मेरे पिताजी व भाईसाब के देहान्त के बाद हक अनुसार कुल 1 बीघा भूमियान का वारिसान के मध्य विभाजन कराने हेतु पुराने नम्बरों की जानकारी कर तथा पुराने व नये नम्बरों की जमाबन्दी की नकल दिनांक 03.04.2019 को प्राप्त की तो उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई मेरे पिता की खातेदारी भूमि को उनके वारिसान पिता पुत्रियों के नाम पुनः पूर्वत खातेदारी की हक से दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा। भाईसाब धर्मचन्द जी के खातेदारी की भूमिया उनके वारिसान के नाम पूर्वत खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र उनके वारिसान की और से प्रस्तुत किया गया है। खाता नम्बर 985 में उक्त वर्णित आराजी नम्बर 1838 नये नम्बर रकबा 0.35 है० पर मेरे पिता के पुराने खाता नम्बर 611 की खातेदारी हक का आराजी नम्बर 2109 पुराना रकबा 0.05 है० सामिल है। मेरे पिता के हक में हम वारिसान का बराबर हक से पुनः दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे व नये नम्बर 1838 आबादी ग्राम पंचायत रायपुर के नाम अभिलिखित 0.35 है० मे से 0.05 है० कमी किया जाकर वारिसान धर्मचन्द जी वारिसान का 1/3 हिस्सा, चान्दमल का 1/3 हिस्सा, व सुभाषचन्द्र का 1/3 हिस्सा दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। व हम वारिसान के नाम का नया खाता नये बटा नम्बर लगाकर जमाबन्दी में दर्ज कराये जाने का आदेश भी प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एलआरएक्ट प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा संसोधित टाईटल पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया संसोधित टाईटल के अनुसार अधिकार पत्र पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या एक द्वारा जवाब पेश किया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ती नहीं बतायी गई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या दो तहसीलदार द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या दो तहसीलदार रायपुर द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 के जमाबन्दी के खाता संख्या 250 अंकित आराजी नम्बर 2105 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 2103 रकबा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 2104 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार धर्मचन्द पिता लक्ष्मीलाल महाजन सा.दे. के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी जो कि जरिये ईन्तकाल नम्बर 1536,1538 दिनांक 09.01.1983 से आबादी में परिवर्तन होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में दर्ज की गई जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत रायपुर के खाते में आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है० किस्म गैमु आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी रकबे का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:- (1) हाल विवरण आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है० (2) गत विवरण आराजी नम्बर 2098 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 2109 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 2099 रकबा 3 बिस्वा आराजी नम्बर 2102 रकबा 5 बिस्वा आराजी

नम्बर 2103 रकबा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 2104 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 2105/1 रकबा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 2105 रकबा 1 बिस्वा इस पगकार अंत आराजी नम्बर 2103, 2104 एवं 2105 मी. कुल रकबा 15 बिस्वा जो कि रूपान्तरण से 0.16 हैक्ट. बनता है जो हाल आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 हैक्ट. के सम्मिलित होने से एवं गत आराजी नम्बर 2109 रकबा 5 बिस्वा का क्षेत्रफल 0.06 है0 कुल 0.21 है0 रकबा उक्त आबादी भूमि मे से ग्राम पंचायत की एनओसी. प्राप्त होने पर पुनः तत्कालीन खातेदार/उनके वारीसान के नाम प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रस्तावित संसोधन अनुसार संसोधित किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं गत राजस्व रेकार्ड का मिलान किया तो पाया गया कि ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है0 ग्राम पंचायत रायपुर आबादी भूमि मे से 0.05 है0 आबादी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः  
आदेश

ग्राम रायपुर के बैरुन हल्का आबादी की आराजी नम्बर 1838 रकबा 0.35 है0 ग्राम पंचायत रायपुर आबादी भूमि मे से 0.05 है0 आबादी भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा